Title: Need to improve the mobile phone services and install a W.L.L. tower in Jaswantnagar, Etawah.

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इटावा में अभी संचार निगम द्वारा मोबाइल सेवा सैल-1 शुरू की गई है। लेकिन मोबाइल सेवा शुरू होते ही उसमें इतने ज्यादा कनैक्शन दे दिए गए कि आए दिन टेलीफोन बंद रहते हैं। वे काम नहीं करते। क्षमता से ज्यादा कनैक्शन देने की वजह से ग्राहकों की दो-दो, तीन-तीन घंटे तक बात नहीं हो पाती। अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मोबाइल सेवा की क्षमता बढ़ाई जाए। जसवंत नगर में न मोबाइल का टावर लगाया गया है और न ही डब्ल्यू.एल.एल. का टावर लगाया गया है। इससे वहां के कनैक्शन धारकों को बड़ी परेशानी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में केबल की लाइन भी नहीं बिछाई गई है। मैं कहना चाहता हूं कि जसवंत नगर में डब्ल्यू.एल.एल. और मोबाइल सेवा के टावर लगाए जाएं जिससे जनता को लाभ मिल सके।â€¦ (व्यवधान) तथा ग्रामीण क्षेत्रों में केबल नहीं बिछाई गई जिसके कारण यह क्षेत्र दूरभाा सेवाओं से पूरी तरह उपेक्षित है। न वीन मोबाइल टावर बकेवर, आजोतमुल, सैफई तथा कठकोटी को चालू नहीं किया गया है।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, हमारा 24 तारीख का नोटिस है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी तक आपको न नहीं कहा है।

श्री रामजीलाल सुमन : हमने आपको 24 अप्रैल को नोटिस दिया था। यह पूरे सदन की अवमानना है। उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री सुश्री मायावती ने पूरे सदन को मनुवादी कहा है। यह बहुत गंभीर मामला है। हमें आपका संरक्षण चाहिए।â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इजाजत देने वाला हूं। आप बैठिए।

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, समाजवादी कभी मनुवादी हो ही नहीं सकते। बार-बार मनुवादी कह कर अपमानित किया जा रहा है। पूरे सदन को गालियां दी जा रही हैं। मान्यवर, इसलिए हम आपका संरक्षण चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री सुश्री मायावती संसदीय लोकतंत्र की गरिमा का लगातार हनन करती जा रही हैं, उपहास उड़ाती जा रही हैं। हमने विशेाधिकार हनन का नोटिस दिया है।â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा। लेकिन मुझे मान्यवर क्यों कहते हैं? आप मान्यवर भी कहते हैं और कुछ मानते नहीं है।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, हमारा 24 अप्रैल का नोटिस है। हमने आपसे विनम्र प्रार्थना की थी। यह बहुत गंभीर मामला है। यह संसद की अवमानना की परिधि में आता है।..... (व्यवधान)

12.58 hrs.